UPRB010016352026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी–(अमित पाल सिंह), (एच जे एस)–UP05691

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–670/2026

आजाद सिंह उम्र 32 साल पुत्र मनबोध सिंह, निवासी ग्राम कुन्दनगंज, थाना बछरावां, जनपद रायबरेली।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

.....विपक्षी/अभियोगी

18–03–2026

प्रार्थी/अभियुक्त **आजाद सिंह** की ओर से यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 BNSS, अपराध संख्या **111/2026,** अन्तर्गत धारा–**109(1),351(3) भारतीय न्याय संहिता,** थाना **बछरावां,** जिला **रायबरेली** के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में इस आशय की दर्ज करायी गयी कि– घटना बीती दिनांक 02.03.2026 को समय लगभग 9 बजे रात्रि की है। प्रार्थी का भाई सूरज कुमार पुत्र किशन यादव निवासी अहीर टोला जसवंतनगर इटावा, कस्बा बछरावां की एमपी बिरला कम्पनी कुन्दनगंज की पार्किंग के बगल में स्थित ढाबे पर खाना खा रहा था, तभी ढाबा संचालक व कर्मचारियों से कोई बातचीत कहासुनी हो गयी इतने में ही ढाबा के कर्मचारियों ने उक्त विपक्षीगणों को बुला लिया सभी लोगों ने जान से मारने की नीयत से एकराय होकर प्रार्थी के भाई पर एक धारदार हथियार से उसकी गर्दन पर हमला कर दिया जिसका बचाव करने में प्रार्थी के भाई का दाहिना हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। विपक्षीगण सरहंग दबंग किस्म के लोग है, जो पुनः अकेले में दिखाई देने पर जान से मार डालने की धमकियां देते हुए भाग गये। कम्पनी की एम्बुलेंस से घायल सूरज को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बछरावां लाया गया जहां हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रायबरेली रिफर कर दिया गया और वहां इलाज जारी है। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी के प्रकरण को संज्ञान में लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने व वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त मामले की विवेचना की गयी। मामले में अभी विवेचना प्रचलित है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन

किया।

प्रार्थी–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त अपराध में असत्य एवं आधारहीन तथ्यो पर साजिस व षडयंत्र के तहत फर्जी फंसाया गया है, प्राथी याची ने उपरोक्त कथित अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त एक सीधा सादा व्यक्ति है, प्रार्थी याची ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त किसी प्रकार का जान से मार डालने का कोई प्रयास नहीं किया है, न ही चोटे पहुंचायी है। वादी मुकदमा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट गलत तथ्यो पर अंकित कराया है। संपूर्ण अभियोजन कथानक असत्य एवं आधारहीन तथ्यो पर आधारित होने के कारण विश्वसनीय नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई ठोस साक्ष्य नही है, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त अग्रिम जमानत पाने का अधिकारी है। प्रार्थी/अभियुक्त एक सम्मानित व्यक्ति है, जिसकी समाज में काफी प्रतिष्ठा है, महज हैरान परेशान करने के लिए वादी मुकदमा ने प्रार्थी/अभियुक्त को प्रथम सूचना रिपोर्ट नामित कर दिया है। कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी सोच विचार कर साजिसन 6 घण्टे विलंब से अंकित करायी गयी है कथित प्रकरण में वादी मुकदमा ने कोई जनता का स्वतंत्र साक्षी घटना को साबित करने के लिए नामित नहीं किया है। प्रार्थी /अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी /अभियुक्त को आशंका है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर प्रताड़ित कर सकती है। यदि उसे अग्रिम जमानत दी जाती है तो प्रार्थी /अभियुक्त अग्रिम जमानत का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा। वह न्यायालय के सभी शर्तो को अक्षरसः पालन करेगा। प्रार्थी–अभियुक्त विश्वसनीय जमानत देने को तैयार हैं। प्रार्थी–अभियुक्त बिना न्यायालय की अनुमति के भारत देश व गृह जनपद नही छोड़ेगा। तद्नुसार प्रार्थी–अभियुक्त अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत का घोर विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी–अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। विवेचना अभी प्रचलित है, प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग नही किया जा रहा है। उसके फरार होने की पूर्ण सम्भावना है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त अग्रिम जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

प्रार्थी /अभियुक्त की ओर से यह बचाव लेने का प्रयास किया गया है कि प्रार्थी–अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त का प्रश्नगत घटना से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। प्रार्थी/अभियुक्त मात्र प्रश्नगत घटना के समय प्रश्नगत ढ़ाबे पर मौजूद था और अभियोजन कथानक की पुष्टि चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट से नही होती है क्योंकि अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य अभियुक्त पर वादी के भाई के ऊपर धारदार हथियार से गर्दन पर हमला किये जाने व उक्त से वादी के भाई का दाहिना हाथ बुरी

तरह जख्मी हो जाने का अभियोग है। प्रार्थी–अभियुक्त व अन्य अभियुक्त की कोई विशिष्ट सहभागिता कथित घटना में संदर्भित नही की गयी है।

जहाँ तक प्रार्थी /अभियुक्त द्वारा लिए गए बचाव का प्रश्न है, प्रार्थी /अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित होना बहस के दौरान स्वीकार किया गया है और अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी–अभियुक्त व अन्य अभियुक्त पर वादी के भाई से वाद विवाद होने पर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से उसके गर्दन पर वार करने, गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी दिये जाने का अभियोग है। वादी के भाई के ऊपर धारदार हथियार से गर्दन पर हमला किये जाने व उक्त से वादी के भाई का दाहिना हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाने की पुष्टि चिकित्सीय रिपोर्ट से होती है। अतः समस्त तथ्यों व परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थी /अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का कोई पर्याप्त आधार व कारण नही पाया जाता है। तदानुसार प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी–अभियुक्त **आजाद सिंह** की ओर से अपराध संख्या 111/2026, अन्तर्गत धारा–109(1),351(3) **भारतीय न्याय संहिता,** थाना **बछरावां,** जिला **रायबरेली** के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(अमित पाल सिंह)
UP05691
सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
18–03–2026

Renu Srivastava
Stenographer

Digitally signed by AMIT PAL SINGH
Date: 2026.03.19 10:21:48 IST
Reason: Document Owner,order
Location: District and Sessions Court,Rebareli